आदर्श पत्रकार : पंण्डित झाबर मल्ल शर्मा

डॉ. सत्यनारायण,
हिसार

पं. झाबर मल्ल शर्मा का जन्म माघ शुक्ल १८८८ ई० में जसरापुर (राज०) में हुआ और उनका स्वर्गवास ४ जनवरी १९८३ ई० को। ९५ वर्ष के जीवन का वर्णन इस प्रकार है।[१] १९०० से १९०५ तक गणनाय सेन के टोल में आयुर्वेद संस्कृत का अध्ययन १९०७ से १९२७ तक हिन्दी पत्रों का सम्पादन। १९२७ से १९८३ तक लेख कार्य (मृत्यु पर्यन्त) इस प्रकार उनका वाल्यकाल और छात्र जीवन छोड़ दिया जाये तो तीन चौथाई शताब्दी से अधिक लेख, कविता, पुस्तकें, लिखते तथा सम्पादन करते ही बीती। उनका जीवन आरम्भ से लेकर अन्त तक साहित्यमय और देशहितमय था। लेखकों की सच्ची जीवनी उनके लेख ही है। उन्ही में उनके मन-प्राण-हृदय चरित्र एवं भावों-विचारों की सच्ची छवी अंकित रहती है। उनके लेखों को पढ़ने के बाद बताना नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार का मनुष्य था। लेखकों के लेख उनके सम्पूर्ण जीवन के उज्ज्वल चित्र बनकर पाठकों के बीच उपस्थित रहते हैं।[२]

पं.झाबरमल्ल शर्मा के काल के दैनिक ''कलकता-समाचार'' (१९१४-१९२५) दैनिक ''हिन्दू संसार'' (१९२५-२६) में उनकी लेखवली के रूप में उनके जीवन का चित्र स्वर्णाक्षरों में चित्रित है। अतः उस २१ वर्ष के समय में उनके द्वारा सम्पादित ''ज्ञानोदय'' (१९०७) ''भारत'' बम्बई (१९०९) में उनके उस समय का स्पष्ट जीवन दर्शन अंकित है। और आगे उनके चरित्र का विकास होता गया वह ''कलकता समाचार'' के अंक में प्रदर्शित हुआ। कलकता समाचार के अंको को पढ़ने के बाद ही जो भारत का अहित चाहता है या उसकी स्वीधानता का विरोधी है। फिर वह व्यक्ति चाहे श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ही क्यों न हो।[३] सामान्यतः उनकी दृष्टि प्रगतिशील रही।

पं. झाबर मल्ल शर्मा के ये सम्पादकीय अपने समय के साक्षी तो है ही इसके साथ-साथ इतिहास की भी अमूल्य धरोहर है। इनके माध्यम से १९२३ का हलचल भरा वर्ष तो हमारे सामने साकार होता है तथा इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आज के लिए प्रांसगिक और सार्थक है। आवश्यकता इस बात की है कि उनके अन्य सम्पादकियों के भी सुसम्पादित संकलन प्रकाशित हो।[४]

उनकी तेजस्विता, मित्रों के साथ निष्कपट-निस्वार्थ-मित्रता निर्भीकता, अंग्रेजी शासन की निर्मम अत्याचार पूर्ण सतारसिकता के विरूद्ध और सर्वसाधारण गरीब जनता पर हार्दिक करूणा और अटल सिद्धान्त एवं धर्म परायणता का दर्शन उनकी लिखी प्रत्येक पंक्ति में है।

पंण्डित जी के तेजस्वी प्रकृति के अनेकानेक दृष्टान्त हमारे सामने है, परन्तु अब हम उनके स्वाधीनता प्रेम और शब्द घड़ने की टकसाल रूप का ही यहां उल्लेख करेंगे।[५]

पंण्डित जी कहा करते थे कि मनुष्य को दो बाते जीवित रख सकता है। एक लेपड़ा और दूसरा थेपड़ा दोनों शब्द राजस्थानी बोली के है। लेपड़ा सर्वजनहिताय कार्य जैसे अस्पताल, स्कूल कालेज आदि शिक्षण संस्थान की स्थापना, कुंआ, जोहड़ बावड़ी धर्मशालाएं गऊशालाएं आदि बनवाना। दूसरा थेपड़ा यानि थापना अर्थात् उपादेय पौथे लिखना अक्षर जगत में विशेष कर देश काल समाज की संरचना करना। मनुष्य, ग्रन्थों के माध्यम से अनंत काल तक जीवित रह सकता है। उन्होंने पहला कार्य तो नहीं किया। क्योंकि देश सेवा का मार्ग पत्रकारिता जैसी भूखी लाईन अपनाकर सम्भव नहीं था। पर दूसरा कार्य अपनी लेखावली से विदेशी सरकार के विरूद्ध जन को आन्दोलित किया एवं ऐतिहासिक महत्व के ग्रन्थों की रचना की।[६] वह साधना का युग था। महानुभावों का युग था आज उपभोग

का। वे कहा करते थे कि उस समय पत्रकारिता एक ''मिशन'' था। आज व्यवसाय। व्यवसाय में व्यक्तिरेक आना स्वाभाविक ही है। वे एक मायने में सच्चे साधक थे।

१९२० ई० में उनकी ''भारतीय देश भक्तों'' की कारावास कहानियाँ रचना के कारण तो वे ब्रिटिश सरकार के कोप भाजन बने। इस पुस्तक की भूमिका में महर्षि अरविन्द के छोटे भाई काला पानी के सजायाफ्ता महान् क्रांतिकारी विरेन्द्रघोष ने लिखा था'' इस पुस्तक से पाठकों को देश भक्तों की कष्टकारक जेल यात्रा में यातना एवं ब्रिटिश सरकार की घोर अन्यायपूर्ण नीति का जनता को पता चलेगा।''[७]कलकता समाचार पहला पत्र था जो क्रांति कारियों की गतिविधियाँ जनता तक पहुंचाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने इस पत्र की जमानत के रूप में २००० रूपये मांगे और सरकार के विरूद्ध कलम न उठानें का आश्वासन।

पंण्डित जी की प्रतिबद्धता थी कि ''कलकता समाचार'' को जमानत न देकर पत्र प्रकाशित बन्द करना उचित समझा फलस्वरूप १९१९ से १९३१ तक के काल में १.५ वर्ष दैनिक कलकता समाचार का प्रकाशन बन्द करना पड़ा। यह पंण्डित जी का देश प्रेम का धोतक है।[८]

क्रान्तिकारी आन्दोलन के पत्र-समर्थन, रोलेट एक्ट के प्रतिवाद के चलते झण्डा आन्दोलन के पक्ष में बीसों लेखों आदि लिखने, असहयोग आन्दोलन, विदेशी वस्त्र बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना शुद्धिकरण, घृत-आन्दोलन, हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तानी के प्रबल समर्थक के कारण कलकता समाचार सरकार का कोपभाजन बन गया। और बंगाल के तत्कालीन गवर्नर लार्ड-रोनाल्ड शा ने धमकी दी की ''मारवाडी जहां से आये है, वहीं भेज दिये जायेगें। इस चुनौती का पं० झाबर मल्ल शर्मा ने गवर्नर महोदय को मंह तोड़ जवाब ''गवर्नर का गुस्सा'' शीर्षक अग्रलेख १९१९ ई० के माध्यम से गवर्नर के आरोप और धमकी का प्रतिवाद करते हुऐ लिखा था[९] ''यह सच है कि कर्मवीर गांधी के सत्याग्रह के मूल सिद्धान्त के साथ एक मारवाड़ियों का क्या समस्त देश वासियों की सहानुभूति है। देश में जागृति पैदा हो गई है। इस जागृति को न बंगाल के गवर्नर साहब रोक सकते और न ही दिल्ली के कर्नल बीडन के बडे भाई सर ओडापर।''[१०]

इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी रचनाओं ने देश की जनता के मन में अंग्रेजो के विरूद्ध आक्रोश का भाव पैदा किया, जिससे भविष्य के आन्दोलन एवं विद्रोह का मार्ग प्रशस्त हो गया। उस समय की पत्रकारिता ने अंग्रेजों के प्रेस की स्वाधीनता पर आघाती कानूनों का डट कर पूरे दम-खम से विरोध किया। १९०५ में बंगाल विभाजन के कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में उग्रवादी विचारधारा के प्रवेश के कारण हिन्दी पत्रकारिता लोकमान्य तिलक को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ी जिसकी कलकता जन्मस्थली थी वहीं अनेक पत्र पत्रिकाएं कर्मवीर अभ्युदय, प्रताप, हिन्दी केसरी आदि प्रकाशित हुऐ जिनमें ''कलकता समाचार'' ने पं० झाबरमल शर्मा ने सम्पादकत्व में अहम भूमिका निभाई ही नहीं बल्कि नेतृत्व भी किया। ये पत्र पत्रिकाएं अंग्रेजो के प्रति घृणा का वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों और उद्देश्यों को जनता तक पंहुचाया।[११]

पं० झाबर मल्ल शर्मा ने सम्पादक के रूप में दैनिक ''हिन्दू संसार'' के बसन्त पंचमी सन् १९२४ के अंक में पत्र के उद्देश्य की चर्चा करते हुऐ लिखा कि ''हिन्दू संसार'' सनातन धर्म का अनुयायी और स्वराज्य का परमाकांक्षी है। स्वधर्म रक्षा पूर्वक राष्ट्र सेवा की शुद्ध भावना के हृदय में धारण कर हिन्दूस्तान में बसने वाली मुस्लिम, ईसाई और पारसी आदि सभी जातियों से बंधुभाव रखता हुआ अपने कर्त्तव्य पालन में सदा तत्पर रहेगा।[१२]

पंडित जी शब्दानुशासन के मामले में बडे सचेत रहते थे। बातचीत में आत्मीयता से बाते करते थे। लेकिन भाषा की शुद्धता के प्रति बड़े जागरूक थे। भाषा का अशुद्ध प्रयोग उन्हें बोल चाल में भी पसन्द नहीं था।[१३]

व्यर्थ की बाते और अधिक बोलने वाले को वे बिलकुल पसन्द नहीं करते थे। उसे ''भद्रा'' कहते थे। जिस प्रकार भदा 'नक्षत्र' में कोई शुभ कार्य सम्पन्न नहीं होता इसी तरह व्यर्थ की बाते करने वाले के होते सारगर्भित बाते नहीं हो सकती। 'भद्रा' शब्द पंडित जी की ही टकसाल का शब्द था। इसी तरह वे बेकार की बाते और बड़ी डींग मारने वाले को ''वृथा पुष्ठ'' कहते थे। ''राई'' शब्द पर उनका लेख 'मरूभारती' पत्रिका में प्रकाशित हुआ जिसकी विद्वानों में बड़ी चर्चा हुई। डॉ० मुरारीलाल गोयल

को एक पत्र में लिखा था कि आप पं० माधव प्रसाद मिश्र पर शोध प्रबन्ध पी०एच०डी० हेतु लिख रहे है।[१४] यह प्रसन्नता का विषय है। आप समय निकालकर १५ दिन के लिए आ जाये। अकेले आप किसी ''अज्ञातकुलशील'' व्यक्ति को साथ नहीं लाये। अनजान व्यक्ति के लिए अज्ञातकुलशील शब्द पंण्डित जी के शब्द कोष का शब्द था। इसी तरह अपने अनन्य मित्र पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को प्रत्येक पत्र के उतर लिखते पात्र-कुपात्र का ध्यान रखते हुऐ गेदरींग सर्टिफिकेट दे देने, सभी से बाते करने मेल-मुलाकात में समय नष्ट करने पर पड़ी कड़ी फटकार डिंगल भाषा का दोहा सुनाते हुऐ लगाई थी। पंक्तियां इस प्रकार थी-

''आवत को नटती नहीं, तड़का गिने न सांझ।
जन-जन का मन राखते, वैश्या रह गई बांझ''।।[१५]

चतुर्वेदी जी ने अन्तिम काल में स्वीकारा है कि अगर पंडित जी की सीख मान जाता तो हिन्दी साहित्य की ठोस सेवा कर जाता। पर मैंने पत्र लिखने और मिलने जुलने में धन और समय दोनों को नष्ट किया मुझे इसका बड़ा अफसोस है।[१६]

पण्डित जी सम्पादकीय सिद्धान्तों के बड़े पक्के थे। पण्डित जी ने पत्रकारिता को व्यक्तिगत राग द्वेष से परे समाज हित देश सेवा और स्वतंत्रता प्राप्ति का आधार बनाया। उन्होंने अपने समय के दिग्गज पत्रकारों ''भारतमित्र'' ''सारसुधानिधि'' के जन्मदाता पं० दुर्गा प्रसाद मिश्र, पं० गोविन्द नारायण मिश्र, पं० छोटे लाल मिश्र, पं० सदानन्द मिश्र, बाबू बाल मुकुन्द गुप्त पं० माधव प्रसाद मिश्र बाबू रामानन्द चटर्जी आदि के कारण भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अध्येता होने के कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन मापदण्डों की स्थापना की, वे पत्रकारों के लिए अनुकरणीय हैं।[१७]

पण्डित जी जेल की प्रवाह किये बिना अपने पत्रकार कर्तव्य का निर्भीकता से पालन करते रहे। उनके ''हिन्दू संसार'' में १२ फरवरी १९२६ और २४ मई १९२६ के अंक में किसी संवाददाता की चिट्ठी छपी थी। शीर्षक था ''रावल के प्रति दुर्व्यवहार'', टिहरी में क्या हो रहा है? चक्रधरशाही के जुल्म से साधारण जनता दुःखी। बदरीनारायण मन्दिर से सम्बंधीत लेख भी छपे थे। इन लेखों और चिट्ठियों में टिहरी (गढ़वाल) राज्य के होम मेम्बर राय बहादुर पं० चक्रधर जुयाल के दुष्टापूर्ण आचरण की सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुये कड़ी आलोचना की गई। देहरादून की अदालत में मानहानि का मुकद्दमा पत्र सम्पादक पं० झाबर मल्ल शर्मा व सहयोगी पं० बाबूराम मिश्र और मुद्रक बनारसी दास शर्मा पर कर दिया। देहरादून की अदालत ने दो वर्ष की सजा ५ हजार रूपये जुर्माना और प्रेस जब्ती की सजा सुनाई। अपील में सहारनपुर के सेशनजज ने सबको बाईज्जत बरी कर दिया। ''हिन्दू संसार'' की विजय पर ''प्रताप'' सम्पादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने लेख में लिखा था कि ''अपने सहकर्मी सम्पादक पं० झाबर मल्ल शर्मा और मैं दोनों ही एक ही पथ के पथिक एवं सहकर्मी हैं। ''प्रताप'' और उसके सम्पादक इन पंक्तियों के लेखक को भी देशी रियसत ने मानहानि का मुकदमा दायर करके सजा दिलाई थी। इस विजय पर पं० झाबर मल्ल शर्मा को साहसिक आदर्श पत्रकार की उपस्थिति करने के लिए बंधाई।''[१८]

पंडित जी के कष्ट का यही अन्त नहीं हुआ सरकार ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अपील की, जहां तीनों व्यक्तियों को जस्टिस ग्रीमोर ने एक-एक वर्ष की सजा सुना दी। उसी जज ने पं० जवाहरलाल नेहरू को भी सजा सुनाई थी। पुलिस नेहरू जी धरपकड़ में लगी हुई थी। इस मौके का लाभ उठाकर पण्डित जी अदालत से फरार हो गये। वे रात को चलते और दिन में छुपते छिपाते अपने गांव जसरापुर(खेतड़ी) पहुंच गये। भारतीय दण्ड विधान की धारा ५०० के अनुसार देशी रियासत में गिरफतारी नहीं कराई जा सकती थी।[१९]

अंग्रेजी जज द्वारा जारी वारन्ट एक अंग्रेज अधिकारी ने कोर्ट में जब पं० झाबर मल्ल शर्मा जी के वारन्ट लेकर पुलिस गिरफतार करने खेतड़ी पहुंची तब खेतड़ी राज्य के चीफ अफसर मि० कैरल ने यह कहते हुऐ वारन्ट लोटा दिये कि ''मेरी स्टेट का एक मात्र इतना बड़ा विद्वान गिरफतार हो जाये तो हमारी तौहीन है। अतः

ब्रिटिश सरकार और देशी रियासत की संधि धारा ५०० के अनुसार गिरफतारी नहीं हो सकती।"[२०]

इस मुकदमें के २२ वर्ष बाद जब पं० जी बाबू बाल मुकुन्द गुप्त स्मारक ग्रंथ और गुप्त निबन्धावली के सम्पादन में कलकता में व्यस्थ थे। उन्हें आजाद भारत में गांव के ही व्यक्तिगत विरोधी ने देहरादून की जिला अदालत में झूठी शिकायत दर्ज करा दी कि सजायाफ्ता व्यक्ति मरा हुआ बताकर सजा से बचता रहा। चालाक विरोधी ने कहीं इस प्रकार नहीं होने दिया कि यह राजनैतिक मुकदमा था। परन्तन्त्र भारत में सजायाफ्ता ख्यातनाम लेखक-सम्पादक पं० झाबर मल्ल शर्मा ३० अक्तुबर १९४९ को जोड़ा साकू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कलकता की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट ने २००० रूपये की जमानत पर १२ नवम्बर १९४९ को देहरादून की अदालत में पेश होने का आदेश देकर छोड़ दिया।[२१] कलकता से बाबू बालमुकुन्द गुप्त जी के ज्येष्ठ पुत्र बाबू नवल किशोर जी गुप्त तत्काल लखनऊ आये और रायबहादुर देवी प्रसाद जी हालुवासिया को रामकथा कह सुनायी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस मिनिस्टर (उस समय गृह मंत्री को पुलिस मिनिस्टर कहा जाता था) लाल बहादुर शास्त्री आगरा गये हुऐ थे। अपने चिरस्नेही मित्र यशस्वी सम्पादक पं० कृष्णदत पानीवाल के साथ मिलकर शास्त्री जी को पूरी कहानी कह सुनाई।[२२] शास्त्री जी सब बातें जानकर तत्काल संदेश भेजकर देहरादून की कोर्ट को "स्टे ऑर्डर" जारी किये। पं० गोविन्द बल्लभ पंत तत्कालीन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश थे। पंत जी को सब बाते शास्त्री जी ने बताई तो बड़े हसें और कहने लगे कि "परतन्त्र भारत में सुनाई गई सजा स्वतन्त्र भारत में एक दिन भी काटनी पड़ जाती तो इससे बड़ी लज्जा की बात हम लोगो के लिए क्या हो सकती थी।" पं० गोविन्द बल्लभ पंत ने सजा रद्द कराते हुये कहा था कि "किसी मजिस्ट्रेट की इससे बड़ी बेहूदगी क्या हो सकती है कि बिना तहकीकात राजनीतिक मुकदमें में गिरफतारी वारन्ट जारी कर दिये।"[२३]

सन्दर्भ सूचि :-

१ पूण्य स्मरण : पं० झाबरमल्ल शर्मा - पृ० २१
२ हमारे पुरोधा पं० झाबरमल्ल शर्मा -पृ० २७
३ अप्रकाशित सामग्री पं० झाबरमल्ल शर्मा शेध संस्थान जयपुर पृ० ३२
४ स्मय के साक्षातकार पं० झाबरमल्ल शर्मा प्रस्तुति विजयदत श्रीधर पृ० १०
५ अभिनन्दन ग्रन्थः पं० झाबरमल्ल शर्मा पृ९ ६७
६ आदर्श पत्रकार : पं० झाबरमल्ल शर्मा पृ० २२
७ आदर्श पत्रकार : पं० झाबरमल्ल शर्मा पृ० २२
८ हिन्दी प्रकाशन का इतिहास : श्याम सुन्दर शर्मा पृ० ६०
९ हिन्दी प्रकाशन का इतिहास : श्याम सुन्दर शर्मा पृ० ७७
१० क्लकता समाचार : सुनील कुमार तिवारी पृ० २९
११ रास्थान की पत्रकारिता : डॉ० सीव भानावत पृ० ४१
१२ आदर्श पत्रकार : पं० झाबरमल्ल शर्मा ,श्याम सुन्दर शर्मा पृ० २१
१३ अभिनन्दन ग्रन्थं : पं० झाबरमल्ल शर्मा पृ० ४४
१४ पं० झाबरमल्ल शर्मा शोध संस्थान (अप्रकाशित सामग्री) जयपुर पृ० ६३
१५ आदर्श पत्रकार : पं० झाबरमल्ल शर्मा ,श्याम सुन्दर शर्मा पृ० २२
१६ पं० झाबरमल्ल शर्मा शोध संस्थान जयपुर पृ० ६२
१७ रास्थान की पत्रकारिता : विजयदत श्रीधर पृ० ५१
१८ क्लकता समाचार : सुनील कुमार तिवारी पृ० ३२
१९ हिन्दू संसार : डॉ० नित्य किशोर शर्मा पृ०२४
२० क्लकता समाचार : सुनील कुमार तिवारी पृ० २९
२१ आदर्श पत्रकार : पं० झाबरमल्ल शर्मा ,श्याम सुन्दर शर्मा पृ० २२
२२ आदर्श निष्ठ पत्रकारिता का प्रतिमान : पं० जी का सम्पादकीय पृ० ५
२३ राजस्थान में हिन्दी के अग्रदूत : डॉ० मनोहर प्रभाकर पृ० ४१